


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

जगदीश बनाम मैसर्स ए. के. जी. व अन्य

केस संख्या 143/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.10.2021	<p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2021/323 दिनांक 27.09.2021 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के राजस्व वाद संख्या 85/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 74/21 व उनवानी जगदीश बनाम मैसर्स ए. के. जी. विचाराधीन है।</p> <p>इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे उपखण्ड अधिकारी बस्सी के वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने वादीगण का रिश्तेदार होने का कथन कर प्रतिवादीगण द्वारा बेबुनियाद आक्षेप लगाये जाने की सम्भावना व्यक्त कर इस प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री शिवचरण शर्मा वादीगण के रिश्तेदार है। इसलिए पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाये जाने की पूर्ण सम्भावना है। अतः न्याय हित में उक्त पत्रावलियों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी से न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है।</p> <p>सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अनुर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर</p>	